पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 20 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28–08–2022

दिनांक 27/28–08–2022 को रात्रि थाना चिनहट 02, गौतमपल्ली 02, कृष्णानगर 04, मोहनलालगंज 04, गाजीपुर 03, सरोजनीनगर 01, विभूतिखण्ड 02, पारा 01, काकोरी 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 20 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 मध्य

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना सरोजनीनगरः– दिनांक 27–08–2022 को एस0आई0 श्री अनिरुद्ध सिंह सेंगर द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–विनोद कुमार पुत्र स्व0 रामखेलावन पाल निवासी पालखेडा पिपरसण्ड थाना सरोजनीनगर लखनऊ को ग्राम पिपरसण्ड गाँव के थोडी दूर पहले बहद अमौसी से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 19 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद कर थाना सरोजनीनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना सरोजनीनगरः– दिनांक 27–08–2022 को एस0आई0 श्री अशोक कुमार द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01– छोटू रावत पुत्र स्व0 रामरतन निवासी लोनहा थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र–29 वर्ष को गहरु से स्कूटर इंडिया कम्पनी के पीछे जाने वाले रास्ते के मोड से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अदद पिपिया मे 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना सरोजनीनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पूर्वी

110जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही।

थाना गोमतीनगर–दिनांक 28–08–2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र थाना गोमतीनगर द्वारा अभियुक्त 01–मो0 सलमान उर्फ पिन्टू पुत्र दिलशाद हुसैन निवासी विनयखण्ड–1 गोमतीनगर थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 28 वर्ष 02–शीलू उर्फ अरबाज सिद्दीकी पुत्र मो0 रफीक निवासी विनयखण्ड–1 गोमतीनगर थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 24 वर्ष के विरूद्ध धारा 110जी द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

थाना बी0बी0डी0ः–(चोरी)दिनांक 28–08–2022 को थाना बी0बी0डी0 द्वारा बताया गया कि दिनांक 28–08–2022 को वादी श्री दुर्गेश तिवारी पुत्र स्व0 अनिरुद्ध तिवारी निवासी 300 सांई रेजीडेन्सी उत्तरधौना थाना बी0बी0डी0 लखनऊ ने थाना बी0बी0डी0 पर सूचना दिया कि वादी परिवार सहित बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए 02 माह पूर्व शिप्रा अपार्टमेन्ट गोमतीनगर विस्तार में रहने लगा है, उपरोक्त घर पर वर्तमान समय में कोई नही रहता है। उपरोक्त घर की सफाई के लिए बीच–बीच में हमलोग आते–जाते रहते है। आज दिनांक 28–08–2022 को वादी के चालक संतू यादव को घर की सफाई के लिए कहा गया था, सुबह जब बगीचे में पानी डालने व घर की सफाई करने के लिए सुबह लगभग 07.00 बजे मकान में पहुंचा तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था, कमरे के अन्दर रखी अलमारी को तोड़कर 02 सोने की अंगूठी, एक कान की बाली, सोने की नाक की कील, चांदी की पायल व 8,000/–रुपया नकद व कुछ कागजातों को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना बीबीडी पर मु0अ0सं0 223/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री शशिकपूर द्वारा की जा रही है।

<u>मोहनलालगंजः—(ट्रेन दुर्घटना)</u>दिनांक 28—08—2022 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 28—08—2022 को श्री अंकित कुमार पत्रवाहक कनकहा रेलवे स्टेशन मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि ग्राम बिन्दौंवा के पास किमी संख्याः—1046/37 गेट नं0 193सी ट्रैक पर इंजन से टकराकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अनिल कुमार मो0नं0 7800344575 द्वारा आवश्यक वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 28—08—2022 को समय करीब 05.30 बजे प्रातः एक व्यक्ति नाम दीपू उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र सोहन पासी निवासी ग्राम देवरिया थाना बेनीगंज जनपद हरदोई, हालपताः—ग्राम बिन्दौंआ थाना मोहनलालगंज लखनऊ जो थाना क्षेत्र मोहनलालगंज में स्थित दबंग गुटखा कम्पनी में मजदूरी करता था, आज प्रातः 05.30 बजे शौंच करने हेतु रेलवे लाइन के पास गया था, जहां पर रेलवे लाइन क्रास करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। मृतक की शिनाख्त उसके साथ गुटखा फैक्ट्री में काम करने वाले कमलेश पुत्र हीरालाल व छोटे पुत्र हरीलाल ने की है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गयी है व अन्य वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>हसनगंजः—मारपीटः—</u>दिनांक 28—08—2022 को थाना हसनगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती नीतू पत्नी श्री अविनाश ठाकुर निवासी बाबा की बगिया लकड़ी की ठेकी के पास थाना हसनगंज लखनऊ ने थाना हसनगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 28—08—2022 को समय करीब 11.30 बजे वादिनी फोन पर बात कर रही थी, कि इतने में वादिनी की सौतेली सास की भौजाई व उसके दोनो लड़के गन्दी गन्दी गाली देते हुए मारा पीटा तथा लड़के अभिषेक ने गुम्मा सिर पर मार दिया, जिससे वादिनी के सिर पर चोट आयी है व जान से मारने की धमकी दिये। इस सूचना पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 196/2022 धारा 323/504/506 भादवि का अभियोग का पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री दिनेश सिंह मो0नं0 9839922094 द्वारा की जा रही है।**